कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1314123 दि0 30-01-2014

पत्र सं0-सचलदल-सामा0निर्देश / 2013-14/ 2430 / वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(सचल दल अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक :30, जनवरी , 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के परिपत्र सं0- चे0पो0-25क-परिपत्र / 2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03 फरवरी , 2009 द्वारा पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल का आयात किए जाने की दशा में जाँच कार्यवाही किए जाने की दशा में निम्न निर्देश निर्गत किए गए थे :-

(1) माल का अभिग्रहण केवल उसी दशा में किया जाएगा जब माल बिना प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा हो , माल के संबंध में घोषणा पत्र जाली हो अथवा परिवहित माल अभिलेखों में उल्लिखित माल से भिन्न अथवा अधिक पाया जाए अथवा माल के साथ वाछित प्रपत्र उपलब्ध न हों।

(2) फार्म-38 में कालम संख्या-2 व 3 में यदि वजन / परिमाप तथा मात्रा में से कोई एक कालम संलग्न प्रपत्रों के अनुसार सही भरा है तो दूसरे कालम में प्रविष्टि न होने के आधार पर माल को नहीं रोका जाएगा। ऐसी स्थिति में फार्म-38 में प्रविष्टि कराकर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाएगा।

(3) फार्म-38 के कालम-6 में अंकित बिल/कैशमीमो / चालान / टैक्स इन्वाइस आदि में से कोई भी एक प्रपत्र फार्म-38 के साथ उपलब्ध है तथा उसकी प्रविष्टि कालम-6 में है , तो माल नहीं रोका जाएगा।

(4) यदि फार्म-38 पर माल का विवरण मूल्य , बिल संख्या / चालान संख्या एवं दिनांक एवं परिवहन किए जा रहे वाहन से संबंधित समस्त विवरण अंकित होने के बाबजूद माल की मात्रा अंकित न हो , ऐसी दशा में फार्म-38 पर माल की मात्रा का विवरण बिल/चालान/कैशमीमो के अनुसार दर्ज कराकर तथा फार्म-38 पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाए।

(5) यदि फार्म-38 पर माल का विवरण , मात्रा , मूल्य , बिल संख्या एवं दिनांक आदि माल से संबंधित सभी विवरण तथा ट्रक नम्बर दर्ज है परन्तु ट्रांसपोर्टर द्वारा भरे जाने वाले अन्य कोई विवरण भरे जाने से रह गए हैं तो ऐसी स्थिति में फार्म-38 पर माल से संबंधित विवरण दर्ज कराकर तथा फार्म-38 पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाए।

mu

(6) यदि प्रान्त के अन्दर आयात किया जा रहा माल देश के बाहर से प्रान्त में आयात किया गया हो तथा इम्पोर्ट से संबंधित प्रमाण माल के साथ उपलब्ध हों परन्तु आयात किए जा रहे माल के साथ संलग्न फार्म-38 पर बिल संख्या व दिनांक अंकित नहीं है परन्तु माल की मात्र व मूल्य अंकित है , ऐसी स्थिति में फार्म-38 पर समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण कराकर तथा फार्म-38 पर अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाए।

2- अग्रेतर मुख्यालय के परिपत्र सं0 चे0पो0-25क-परिपत्र/ 2008 / 0910015 / वाणिज्य कर दिनांक 03-06-2009 द्वारा कर अपवंचना के विभिन्न प्रकरणों के संज्ञान में आने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिए गए कि विदेश से आयात किए जाने वाले माल की उपर्यक्तानुसार स्थिति को छोड़कर यदि फार्म-38 के कालम-6 में अंकित बिल/चालान/ इन्वाइस आदि किसी एक प्रपत्र की संख्या तथा तिथि का अंकन नहीं किया गया है तो माल को अभिग्रहीत कर विधिक कार्यवाही की जाए । इस संबंध में स्थानीय संगठनों के माध्यम से व्यापारियों को सम्यक रूप से अवगत भी करा दिया जाए ताकि उनमें प्रपत्र-38 की अन्य प्रविष्टियों के समान स्तम्भ सं0-6 की प्रविष्टियां भी अपूर्ण रहने पर माल का अभिग्रहण न किए जाने की भ्रांति न रहे और अनावश्यक रूप से वादग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न न हो।

3- इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल का आयात किए जाने की दशा में माल के अभिग्रहण की कार्यवाही केवल उसी दशा में की जानी है जबकि माल बिना प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा हो , माल के संबंध में घोषणा पत्र जाली हो अथवा परिवहित माल अभिलेखों में उल्लिखित माल से भिन्न अथवा अधिक पाया जाए अथवा माल के साथ वाछित प्रपत्र उपलब्ध न हों अथवा विदेश से आयातित माल की उपर्युक्तानुसार वर्णित स्थिति को छोड़कर फार्म-38 के कालम-6 में अंकित बिल/चालान/ इन्वाइस आदि किसी एक प्रपत्र की संख्या तथा तिथि का अंकन नहीं किया गया हो अथवा कर अपवंचना का अन्य कोई विशिष्ट एवं स्पष्ट आधार अन्तर्निहित होना प्रकाश में आया हो । केवल तकनीकी आधार पर या कालम-6 को छोड़कर फार्म-38 के अन्य किसी कालम के अपूर्ण रहने की दशा में माल को अभिग्रहीत नहीं किया जाना है , अपितु ऐसे कालम की प्रविष्टि को कराते हुए जाँच अधिकारी द्वारा फार्म-38 पर अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाना है।

4- यह भी संसूचित किया जा चुका है कि ई-संचरण की व्यवस्था को अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा विशिष्ट संचरण नम्बर जैनरेट करते हुए माल का आयात किए जाने की दशा में किसी तकनीकी आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना है तथा ऐसे परिवहनकर्ताओं को निर्बाध आयात की सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है । ऐसे मामलों में विभागीय सर्वर पर की गयी घोषणा से भिन्न अथवा अधिक माल का परिवहन किया जाना पाये जाने पर अथवा कर अपवंचना का अन्य कोई विशिष्ट एवं स्पष्ट आधारअन्तर्निहित होना प्रकाश में आने पर ही माल का अभिग्रहण

mu

किया जाएगा। अन्य किसी भी तकनीकी आधार पर ई-सचरण की व्यवस्था अपनाते हुए माल का आयात करने वाले व्यापारियों का माल नहीं रोका जाएगा।

5- इस प्रकार के परिवाद मुख्यालय पर किए गए हैं कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बाबजूद भी अधिकारी अभी भी तकनीकी तथा अन्य ऐसी स्थितियों में भी माल को रोक कर उसके अभिग्रहण की कार्यवाही कर रहे हैं जिनमें अभिग्रहण न किए जाने के निर्देश मुख्यालय द्वारा निर्गत किए गए हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है।

6- मुख्यालय पर की गयी समीक्षा से यह स्पष्ट है कि सचल दल इकाइयों द्वारा अपंजीकृतों के द्वारा करापवचित संव्यवहार करने के मामलों की समुचित जाँच नहीं की जा रही है और पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा इस संबंध में समुचित समीक्षा भी नहीं की जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। **यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में मुख्यालय बैठक में अपंजीकृतों के संबंध में प्रकाश में लाए गए करापवंचन संबंधी प्रकरणों तथा इनके परिप्रेक्ष्य में जमा कराई गयी जमानत की राशि की विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी और यही सचल दल इकाइयों द्वारा निष्पादित कार्यवाही के वार्षिक मूल्यांकन का भी प्रमुख बिन्दु होगा।**

अत; यह निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

MK 29.1.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0।

(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश।

(11) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।

(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।

(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।

(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियाँ में ।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(33) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(35) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
(38) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
(45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(51) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ,।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।

(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।

(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ।

(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद

(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।

(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स , नवयुग मार्केट , गाजियाबाद

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ